

Order No:-456L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Sadhvi Niranjana Jyoti** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या.439 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	विहान मिश्रा	श्री आशीष मिश्रा, मो-8090850622	1	मधुपुरी, फ़तेहपुर
2	अभय प्रताप सिंह	श्री राजबहादुर, मो-9026351253	6	मधुपुरी, फ़तेहपुर
3	श्रेया	श्री राघवेंद्र कुमार, मो- 8787272411	3	मधुपुरी, फ़तेहपुर
4	अतिन गुप्ता	श्री संतोष कुमार गुप्ता, मो-9793596746	4	मधुपुरी, फ़तेहपुर
5	शिवांश प्रताप सिंह	श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, मो-9335079045	5	मधुपुरी, फ़तेहपुर
6	आंशी मौर्य	श्री देवेन्द्र कुमार मौर्य, मो-8299724129	1	मधुपुरी, फ़तेहपुर
7	आशुतोष	श्री अशोक कुमार, मो-8400992360	5	मधुपुरी, फ़तेहपुर
8	विकास कुमार निषाद	श्री शिवचंद निषाद, मो-8840819138	3	मधुपुरी, फ़तेहपुर
9	अर्नव पटेल	श्री शिव शंकर पटेल, मो-9554170563	1	मधुपुरी, फ़तेहपुर
10	वंश कैथल	श्री शिव बहादुर, मो-9953331912	1	मधुपुरी, फ़तेहपुर

क० प० उ०
A. J. K.

निर्देश: -

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Sadhvi Niranjana Jyoti माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **LUCKNOW** संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)